नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजनान्तर्गत सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन एवं प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन–सीटू मैनेजमेन्ट ऑफ क्रॉप रेज्ड्यू एवं अन्य योजनार्न्तगत कृषि यन्त्रों हेतु निर्माता कम्पनियों की इम्पैनलमेन्ट प्रक्रिया

1. सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन एवं प्रमोाशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन–सीटू मैनेजमेन्ट ऑफ क्राप रेज्ड्यू योजनान्तर्गत कृषि यन्त्र–, लेजर लैण्ड लेवलर, पौटैटो प्लान्टर, पौटैटो डिगर, ग्राउण्ड नट डिगर, ग्राउण्ड नट पॉड स्ट्रीपर, शुगरकेन कटर प्लान्टर, शुगरकेन थ्रेस कटर, न्युमेटिक प्लान्टर, मल्टीक्रॉप प्लान्टर, पावर ऑपरेटेड चैफ कटर, स्ट्रा रीपर, मिनी राइस मिल, मिनी दाल मिल, मिलेट मिल, सोलर ड्रायर, क्लीनर कम ग्रेडर, ऑयल मिल विद फिल्टर प्रेस, पैकिंग मशीन, रोटावेटर, हैरो, कल्टीवेटर, ट्रैक्टर माउण्टेड स्प्रेयर, मल्टीक्राप थ्रेसर, कम्बाइन हार्वेस्टर ट्रेक्टर पॉवरड (विदआउट ट्रेक्टर), पावर टीलर, किसान ड्रोन, कम्बाइन हार्वेस्टर विद सुपर एस0एम0एस0, ट्रेंच प्लांटर/मैकेनिकल ट्रेंच प्लांटर/शुगर केन सेटलिंग प्लांटर, पॉवर ऑपरेटेड शुगर केन सेट ट्रीटमेंट डिवाइस, शुगरकेन रैटून मैनेजर, शुगरकेन पॉवर वीडर/इंटर रो कम इंट्रा रो वीडर (पी0टी0ओ0 ऑपरेटेड), डाइरेक्ट राइस सीडर, शुगर केन हार्वेस्टर (ट्रैक्टर माउन्टेड), शुगर केन प्लानटिंग रिजर, पावर वीडर (पावर/बैटरी आपरेटेड), सेल्फ प्रोपेल्ड राइस ट्रॉस प्लान्टर (4 रो), सेल्फ प्रोपेल्ड राइस ट्रॉस प्लान्टर (8 रो), शुगर केन हार्वेस्टर (सेल्फ प्रोपेल्ड),सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेन्ट सिस्टम, हैप्पी सीडर/स्मार्ट सीडर, सुपर सीडर, पैडी स्ट्रॉ चॉपर/श्रेडर/मल्चर, श्रब मास्टर/रोटरी स्लैशर, सर्फेस सीडर, हाइड्रोलिक रिवर्सेबल एम0बी0 प्लाऊ, मिनी/मीडियम बेलिंग मशीन (राउण्ड 16 से 25 कि0ग्रा0/बेल), बिग बेलिंग मशीन (राउण्ड 180 से 200 कि0ग्रा0/बेल),बेलिंग मशीन (रेकटेन्गुलर 18 से 20 कि0ग्रा0/बेल), स्टॉ रेक, जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, क्रॉप रीपर ट्रैक्टर माउन्टेड/सेल्फ प्रोपेल्ड, सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर कम बाइण्डर, ट्रेक्टर, दालमील, बैच ड्रायर, मेज शेलर इत्यादि की निर्माता कम्पनी के इम्पैनलमेन्ट की प्रक्रिया दिनांक 29.05.2026 से upyantratracking.in पोर्टल के माध्यम से आन लाइन आरम्भ होगी।
2. सभी कृषि यन्त्र निर्माता कम्पनियों को कृषि विभाग द्वारा विकसित upyantratracking.in पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना, समस्त विवरण भरना एवं आवश्यक अभिलेख अपलोड करना अनिवार्य होगा। जिसका विवरण निम्नवत् है।
    - कम्पनी/फर्म के पंजीकरण का इनकारपोरेशन सर्टिफिकेट, रजिट्रेशन प्रमाण पत्र।
    - कम्पनी/फर्म के निर्माण इकाई का वाक थ्रू विडियो (मुख्य प्रवेश द्वार से स्थापित मशीनों, उत्पादन प्रक्रिया, कार्यरत इकाई एवं तैयार उपकरण/मशीन) तैयार कर अपलोड किया जाना।
    - उद्यमी प्रमाण पत्र/एम0एस0एम0ई0 प्रमाण पत्र/डी0पी0आई0आई0टी0 प्रमाण पत्र (जो लागू हो) अपलोड किया जाना।
    - कम्पनी प्रोफाइल (कम्पनी का नाम, स्थापना वर्ष, निर्माण सुविधायें, उत्पाद सूची, सेवा नेटवर्क प्रमाण पत्र एवं सम्पर्क विवरण सहित) तैयार कर अपलोड किया जाना।
    - स्व–घोषणा पत्र कम्पनी लेटर हेड पर अपलोड कराया जाना।
    - भारत सरकार के एग्री मशीनरी पोर्टल पर कृषि यंत्र निर्माता कम्पनी/फर्म के पंजीकरण स्थिति।
3. पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त इम्पैनलमेन्ट प्रक्रिया आन लाइन upyantratracking.in पोर्टल के माध्यम से की जायेगी। जिसमें फीड/अपलोड करने हेतु अभिलेखो का विवरण निम्नवत् है।
    - भारत सरकार के यंत्रीकरण पोर्टल की पंजीकरण आई0डी0
    - कृषि यंत्र का नाम
    - कृषि यंत्र का मेक एवं मॉडल नम्बर

- कृषि यंत्र की टेस्ट रिपोर्ट,
- कृषि यंत्र का टेस्टिंग इंस्टीयूट का नाम
- कृषि यंत्र की टेस्ट रिपोर्ट वैलिडिटी
- कृषि यंत्र की एम0आर0पी0
- बैंक गारन्टी
- बैंक गारन्टी धनराशि
- बैंक गारन्टी एक्सपायरी तिथि
- सर्विस सेन्टर की सूची
- शपथ पत्र

4. रू0 10000 से अधिक अनुदान वाले कृषि यन्त्रों पर उभरा हुआ या लेजर कट (**Embossed)/Laser Cutting)** सीरियल नं0 का लेटर साइज (Arial Bold) साइज 25 mm में अंकित किया जाना अनिवार्य है।

5. सभी कृषि यन्त्र निर्माता कम्पनियों द्वारा यन्त्रवार अधिकतम खुदरा मूल्य (एम0आर0पी0 जी0एस0टी0 सहित) अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करना होगा साथ ही सभी अधिकृत विक्रेताओं द्वारा अपने शोरूम के पटल/पोर्टल पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।

6. शपथ पत्र। (शपथ पत्र की प्रति upyantratracking.in पोर्टल से डाउनलोड की जा सकती है।)

7. कृषि यन्त्र की टेस्टिंग रिपोर्ट निर्माता कम्पनी के नाम से होने तथा कम्पनी द्वारा स्वनिर्मित कृषि यन्त्र को ही इम्पैनलमेन्ट में सम्मिलित किया जायेगा।

8.. यन्त्र निर्माता कम्पनी को बैंक गारन्टी कृषि निदेशक उ0प्र0, कृषि भवन, लखनऊ (Director Agriculture U.P. Krishi Bhawan Lucknow) के नाम से होगी, बैंक गारन्टी की पी0डी0एफ0 में upyantratracking.in पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।तथा बैंक गारण्टी की मूल प्रति कृषि भवन लखनऊ के संयुक्त कृषि निदेशक (अभियन्त्रण अनुभाग) कृषि भवन लखनऊ को प्रेषित करनी होगी।

9. **कृषि यन्त्रों के इम्पैनलमेन्ट हेतु बैंक गारन्टी के लिए निर्धारित मापदण्ड**

क्र0स0	कृषि यन्त्र का अधिकतम विक्रय मूल्य (रूपया लाख में)	प्रति यन्त्र/प्रति मॉडल हेतु बैंक गारन्टी (रूपया लाख में)	चार या चार से अधिक यन्त्रों हेतु बैंक गारन्टी (रूपया लाख में)
1	रू0 3.00 लाख तक	रू0 1.00 लाख	रू0 4.00 लाख
2	3.00 लाख से अधिक रू0 10. 00 लाख तक	रू0 2.00 लाख	रू0 8.00 लाख
3	रू0 10.00 लाख से अधिक	रू0 3.00 लाख	रू0 12.00 लाख

बैंक गारन्टी की समय–सीमा अभिलेख प्रस्तुत करने के समय से न्यूनतम एक वर्ष के लिए ही मान्य होगी तथा बैंक गारन्टी को दावा अवधि के पश्चात् ही वापस किया जायेगा।

10. कृषक द्वारा कृषि यंत्र का क्रय, मात्र इम्पैनल्ड यंत्र निर्माता से ही खरीद अनुमन्य है, और उनके स्तर से अपने डीलरों का पंजीकरण विभागीय पोर्टल पर किया जाता है। यंत्र निर्माता अपने डीलरों को यह निर्देश जारी करेंगे कि जिन डीलरों का पंजीकरण पोर्टल पर नहीं है, वे कृषकों को यंत्रों का विक्रय नहीं करेंगे।

11. यंत्र निर्माता अपने डीलरों को यह भी निर्देश जारी करेंगे कि डीलरों द्वारा कृषकों को ऐसे यंत्रों का विक्रय नहीं करेंगे, जो राज्य सरकार की ओर से निर्धारित नहीं किये गये हैं।

12. उपरोक्त बिन्दु– 10 व 11 की स्थिति की दशा में यंत्र निर्माता, कृषकों को प्राप्त होने वाले अनुदान के लिए उत्तरदायी होंगे।